न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 88 / 2024 दायर दिनांक: 11.07.2024

उनवान

1. कैलाशचन्द पुत्र ऊंकारलाल जाति दर्जी निवासी सोयला तहसील रायपुर

— वादी

बनाम

1. दुर्गाबाई पत्नी दुर्गालाल जाति नाथ निवासी सोयला तहसील रायपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर राज.

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्वान अभिभाषक —

अभिभाषक वादी — श्री अशोक पाटीदार

प्रतिवादी सं. 1 — एकतरफा

प्रतिवादी सं. 2 — पेरोकार सरकार

<u>निर्णय</u> दिनांक : २२ .07.2025

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह कि राजस्व ग्राम सोयला तहसील रायपुर जिला झालावाड़ की जमाबन्दी खाता संख्या 48 सम्वत 2072—2075 सम्वत 2076 से स्थायी खसरा नम्बर 169 रकबा 1.0117 हैक्टेयर आराजी स्थित है जो कि कि वादी खातेदारी की आराजी होकर वादी के खाते दर्ज है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद है। यह है कि वाद के पैरा नम्बर एक में दर्ज आराजी वादी के खाते की होकर वादी उस पर काश्त करता चला आ रहा है। यह कि वादी की इस आराजी के कुछ हिस्सो पर प्रतिवादी नं. 1 ने जबरन लठ व ताकत के बल पर कब्जा कर लिया था इस कारण वादी ने दिनांक 16.06.2024 को श्रीमान तहसीलदार रायपुर के आदेशानुसार वाद के पैरा नम्बर 1 में दर्ज आराजी की पैमाईश कानूनगो महोदय व पटवारी हल्का से करवाई थी। जिसमें कुछ जमीन प्रतिवादी नं. 1 के कब्जे में निकली थी जिससे नाराज हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिवादी नं. 1 ने दिनांक 18.06.2024 को वादी को बेदखल कर जबरन लठ व ताकत के बल पर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर लिया हैं। यह कि वादी एक गरीब काश्तकार व्यक्ति है तथा प्रतिवादी नं. 1 सहजोर व ताकतवर है जो वादी को महिला अत्याचार के झूठे मुकदमें में फसाने की धमकीयां देती है व गैर कानूनी रूप से वादी की कृषि आराजी को हड़प करना चाहती है। जिसका की उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। यह कि वादी का कृषि आराजी ही आय का एक मात्र साधन हैं इसके अलावा आय का अन्य कोई साधन नही है जिस पर से प्रतिवादी नं. 1 द्वारा वादी को जबरन बेदखल कर कब्जा कर लिया। अगर वादी को इस आराजी का कब्जा वापस नही मिला तो वादी को भूखे मरने की नोबत आ जावेगी और वादी का जीवन निर्वाह दुर्लभ हो जावेगा। यह कि वाद कारण दिनांक 18.06.2024 को उत्पन्न हुआ जब वादी की खातेदारी की कृषि आराजी पर प्रतिवादी नं. 1 द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर कब्जा कर लिया तथा वर्तमान में भी अनाधिकृत कब्जा बनाये रखने के कारण वाद पेश करना आवश्यक हुआ। यह कि कृषि आराजी ग्राम सोयला तहसील रायपुर जिला झालावाड़ राज. मे स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय को वाद सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। यह कि वाद अवधि मध्य उचित कोर्ट फीस पर प्रस्तुत है।. यह कि वादी वाद प्रस्तुत कर निम्न प्रार्थना करता है।

(अ) यह कि डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादी नं. 1 इस आशय की पारित की जावे कि ग्राम सोयला तहसील रायपुर जिला झालावाड़ की जमाबन्दी खाता संख्या 48 सम्वत 2072–2075 सम्वत 2076 से स्थायी खसरा नम्बर 169 रकबा 1.0117 हैक्टेयर में दर्ज कृषि आराजी का कब्जा प्रतिवादी नं. 1 से वादी को दिलवाया जावे एवं खर्चा मुकदमा भी वादी को प्रतिवादी नं. 1 से दिलवाया जावे।

(ब) अन्य जो न्यायोचित राहत वह भी वादी को दिलवायी जावे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से अभिभाषक श्री अशोक कुमार चौहान उपस्थित हुए परन्तु दिनांक 21.04.2025 को प्रतिवादी सं. 1 एवं उनके अधिवक्ता के

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

अनुपस्थित रहने से मुताबिक आदेशिका दिनांक 21.04.2025 प्रतिवादी सं. 1 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई एवं प्रतिवादी सं. 2 को पर्याप्त अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने से प्रतिवादी सं. 2 का जवाब अवसर बंद किया गया।

3. वादी द्वारा वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम सोयला का खाता सं. 48 की जमाबंदी सं. 2072–75 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 1, पैमाईश आदेश तहसीलदार रायपुर का पत्रांक 192 दिनांक 12.06.2024 की छायाप्रति व पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 16.06.2024 की प्रमाणित प्रति पेश की तथा मौखिक साक्ष्य में सुरेशचन्द पि. ओंकारलाल, कैलाशचन्द पि. ओंकारलाल, तेजमल पि. भंवरलाल व राजाराम पि. गंगाराम के PW-1 To 4 के शपथपत्र/बयान कराये गये।

4. अभिभाषक वादी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम सोयला तहसील रायपुर के ख.नं. 169 रकबा 1.0117 हैक्टेयर भूमि वादी के नाम दर्ज रिकार्ड है जिस पर वादी काश्त करता चला आ रहा है। वादी की इस आराजी के कुछ हिस्से पर प्रतिवादी नं. 1 ने जबरन लठ व ताकत के बल पर कब्जा कर लिया था इस कारण वादी ने दिनांक 16.06.2024 को तहसीलदार रायपुर को प्रार्थना पत्र पेश कर पैमाईश करवाई थी जिसमें कुछ जमीन प्रतिवादी नं. 1 के कब्जे में निकली थी जिससे नाराज होकर प्रतिवादी नं. 1 ने दिनांक 18.06.2024 को वादी को बेदखल कर जबरन लठ व ताकत के बल पर सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर लिया हैं। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा बिना किसी विधिक प्राधिकार के जबरदस्ती बलपूर्वक वादी की भूमि पर कब्जा किया है। अतः प्रतिवादी सं. 1 अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। अभिभाषक वादी द्वारा आगे तर्क किया गया कि [illegible] सं. 1 का बावजूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं [illegible] इस तथ्य [illegible] साबित करता है कि प्रतिवादी सं. 1 अतिक्रमी है और उ[illegible]के समक्ष पेश करने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

कोई साक्ष्य नहीं है। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर वादी को वापिस कब्जा दिलाया जावे।

5. पेरोकार सरकार तहसीलदार रायपुर द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि नियमानुसार वादी का अनुतोष दिया जावे तो पेरोकार सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

6. अभिभाषक वादी एवं परोकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम सोयला तहसील रायपुर के खाता सं. 48 जमाबंदी सं. 2072–75 प्रदर्श 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी ख.नं. 169 रकबा 1.0117 हैक्टेयर भूमि का वादी रिकार्डेड खातेदार कृषक है। वादी द्वारा पेश पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 16.06.2024 के अनुसार वादी व अन्य पडौसी खातेदारो की उपस्थिति में भू.अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का सोयला द्वारा वादग्रस्त आराजी का सीमाज्ञान किया है। प्रतिवादी सं. 1 एवं उनके अधिवक्ता द्वारा बावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहने से भी प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि प्रतिवादी सं. 1 को अपने पक्ष में कोई जवाब/साक्ष्य/ दस्तावेज पेश नहीं करना था जिससे प्रतिवादी सं. 1 का वादी की भूमि पर अतिक्रमी होना जाहिर होता है।

7. वादी द्वारा अपने समर्थन में पेश गवाह पीडब्ल्यू– 1 सुरेशचन्द पि. ओंकारलाल द्वारा सशपथ कथन किया गया है कि वादी की ग्राम सोयला की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 169 की पैमाईश दिनांक 16.06.2024 को की गई थी जिसमें प्रतिवादी सं. 1 दुर्गाबाई का कुछ हिस्से पर कब्जा पाया गया था जिसको हटाने हेतु वादी ने कहा था जिस कारण प्रतिवादी सं. 1 ने वादी की सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर लिया है। वादी पीडब्ल्यू– 2 कैलाशचन्द पि. ओंकारलाल, पीडब्ल्यू– 3 तेजमल पि. भंवरलाल व पीडब्ल्यू– [illegible] पि. गंगाराम ने भी अपने सशपथ बयान में उक्त कथनों को दोहराया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

8. उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह तथ्य निर्विवादित है कि वादी वादग्रस्त आराजी का रिकार्डेड खातेदार कृषक होकर कब्जा काश्तरत था जिस पर प्रतिवादी सं. 1 ने बलपूर्वक अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि के वादी की भूमि पर कब्जे की कानूनी वैधता (lawful authority) संबंध में कोई भी साक्ष्य पेश नहीं किया है। अतः प्रतिवादी सं. 1 वादग्रस्त आराजी में वादी की भूमि पर अतिक्रमी साबित है और अतिक्रमी होने से बेदखल किये जाने योग्य है। वादी के अनुसार वाद का कारण हेतुक दिनांक 18.06.2024 को उत्पन्न हुआ है अर्थात प्रतिवादी द्वारा जून 2024 से वादग्रस्त भूमि पर अवैध कब्जा किया है। वादग्रस्त आराजी **खाता सं. 48 ख.नं. 169 रकबा 1.0117 है.** का वार्षिक लगान 91 पैसे है। उक्त लगान का अतिक्रमी पर अधिकतम 15 गुना जुर्माना लगाया जा सकता है जो करीब 13.65 रू होगा। अतः वादी को प्रतिफल के रूप में राशि दिलाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता। यहां धारा 183 आर.टी.एक्ट का प्रावधानो का अवलोकन करना उचित होगा–

183. Ejectment of certain trespasser— (1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम सोयला की वादग्रस्त आराजी **खाता सं. 48 ख.नं. 169 रकबा 1.0117 है.** भूमि के संबंध में वादी का वाद धारा 183, 209 आर.टी.एक्ट आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर ग्राम सोयला की वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि वादी की ग्राम सोयला की **खाता सं. 48 ख.नं. 169 रकबा 1.0117 है.** भूमि से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर वादी को शीघ्र कब्जा सौपा जावे। प्रतिवादी सं. 1 को पाबंन्द किया जाता है कि वह वादी की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 22.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/07/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज0)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 88 / 2024 दायर दिनांकः 11.07.2024

उनवान

1. कैलाशचन्द पुत्र ऊंकारलाल जाति दर्जी निवासी सोयला तहसील रायपुर

— वादी

बनाम

1. दुर्गाबाई पत्नी दुर्गालाल जाति नाथ निवासी सोयला तहसील रायपुर
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रायपुर राज.

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 183, 209 रा.टी.एक्ट

उपस्थिति विद्धान अभिभाषक —

अभिभाषक वादी — श्री अशोक पाटीदार

प्रतिवादी सं. 1 — एकतरफा

प्रतिवादी सं. 2 — पेरोकार सरकार

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

ग्राम सोयला की वादग्रस्त आराजी के संबंध में वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी सं. 2 तहसीलदार रायपुर को आदेशित किया जाता है कि वादी की ग्राम सोयला की **खाता सं. 48 ख.नं. 169 रकबा 1.0117 है.** भूमि से प्रतिवादी सं. 1 को बेदखल कर वादी को शीघ्र कब्जा सौपा जावे। प्रतिवादी सं. 1 को पाबंन्द किया जाता है कि वह वादी की भूमि पर जबरन कब्जा नहीं करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:38 IST
Reason: SelfAttested

22/7/25

(दिनेश कुमार मीणा,आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

निज ....X..................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बषारह ......

X............................... आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X................ अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 22.07.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

मुद्दई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिष्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिष्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी पिडावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:03:38 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner